

**भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र**

विज्ञापन संख्या **03/2023/BARC**

**भर्ती प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ**

पद: वैज्ञानिक सहायक/बी (फुड टेक्नॉलजी/होम साइन्स/न्यूट्रिशन) एवं कैटगरी-1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी

1.	भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने देश भर में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के अधीन विभिन्न इकाइयों की रिक्तियों को भरने के लिए विभिन्न विषयों के लिए वैज्ञानिक सहायक/बी और कैटगरी-1 प्रशिक्षु के पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।		
2.	स्क्रीनिंग परीक्षाएँ (कंप्यूटर आधारित परीक्षा-सी.बी.टी.) अखिल भारतीय आधार पर दिनांक 18.11.2023 से 24.11.2023 की अवधि के दौरान आयोजित की गई थीं और 12.01.2024 को सी.बी.टी. के परिणामों की घोषणा के बाद, दिनांक 28.02.2024 से 08.04.2024 की अवधि के दौरान विभिन्न विषयों में साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या संबंधित विषय और कैटगरी में विज्ञापित पदों की संख्या से चार गुना थी। मौजूदा नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार विधिवत गठित स्थायी चयन समितियों द्वारा किया गया था, जिसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ अ.जा./अ.ज.जा, अ.पि.व., अल्पसंख्यक और महिला श्रेणियों के प्रतिनिधि शामिल थे।		
3.	सी.बी.टी.में प्राप्त अंकों को केवल साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है। सी.बी.टी.में प्राप्त अंकों की अंतिम चयन प्रक्रिया में कोई प्रासंगिकता नहीं है, सिवाय बराबरी के मामलों को तय करने के उद्देश्य के, जैसा कि नीचे बिंदु संख्या 4 पर बताया गया है।		
4.	अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध करने का कार्य पूर्ण रूप से साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया। तथापि, साक्षात्कार के अंकों में बराबरी की स्थिति में, वेबसाइट <a href="https://barconlineexam.com">https://barconlineexam.com</a> पर दिनांक 29.02.2024 को घोषित किए गए अनुसार, नीचे दिए गए सूचीबद्धता मानदंड लागू किए गए हैं: -		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) सी.बी.टी.में उच्च अंक वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर रखा गया।</li> <li>2) फिर भी उपरोक्त (1) के अनुसार अंकों में बराबरी के मामले में, सी.बी.टी.में अधिक सही उत्तर वाले अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर रखा गया।</li> <li>3) फिर भी उपरोक्त (2) के अनुसार सीबीटी में सही उत्तरों की संख्या में बराबरी के मामले में, पहले जन्मे अभ्यर्थी को मेरिट सूची में ऊपर रखा गया।</li> </ol>		
5.	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया में निम्नानुसार शिथिल मानकों को अपनाकर मूल्यांकन किया गया है:		
		अनारक्षित वर्ग	आरक्षित वर्ग
	साक्षात्कार हेतु सूचीबद्ध करने के लिए सीबीटी में अपनाए गए न्यूनतम अंक	30% (120 में से 36 अंक)	20% (120 में से 24 अंक)
	पैनल में शामिल करने के लिए साक्षात्कार में अपनाए गए न्यूनतम अंक	55 अंक (100 में से)	50 अंक (100 में से)
	उपरी आयु सीमा	विज्ञापन के पैरा 2.1, 2.2 & 2.3 के अनुसार	

6.	आरक्षित श्रेणी से संबंधित लेकिन किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाने वाले और सामान्य मानकों में योग्य उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के रूप में माना जाता है और उन्हें अनारक्षित श्रेणी के तहत रखा जाता है। आरक्षित श्रेणी से संबंधित और किसी भी रियायती मानक का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी की सूची में रखा गया है, भले ही उन्होंने सीबीटी में उच्च अंक प्राप्त किए हों।
7.	सीबीटी/साक्षात्कार में न्यूनतम अंक प्राप्त करने मात्र से ही अभ्यर्थी स्वतः पैनल में शामिल किए जाने की गारंटी नहीं है। अभ्यर्थियों को योग्यता के क्रम में सूचीबद्ध किया गया है और कैटगरी के अनुसार विज्ञापित पदों तक सीमित किया गया है।
8.	किसी विशेष श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित और दिव्यांग वर्ग में पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उस श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को रिक्त/बिना भरे छोड़ दिया जाएगा, जिन्हें आगामी भर्ती चक्रों में विज्ञापित किया जाएगा।
9.	अभ्यर्थियों को विज्ञापन के अनुसार सभी भर्ती मानदंडों को पूरा करना होगा। केवल पैनल में शामिल होने से नियुक्ति की गारंटी नहीं होगी। चयन के बाद भी, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी किसी भी भर्ती मानदंड को पूरा नहीं करता है और निर्धारित चिकित्सा परीक्षा आदि में फिट नहीं पाया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता बिना किसी और सूचना के किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकती है।
10.	नियुक्ति, चरित्र और पूर्ववृत्त (सी एंड ए) की सत्यापन प्रक्रिया के संतोषजनक समापन, सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करने, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर स्थिति और जांच समिति द्वारा जारी किए गए जाति वैधता प्रमाण पत्र, जहां भी लागू हो, जमा करने के अधीन होगी या नियुक्ति के लिए कोई अन्य शर्त।
11.	अभ्यर्थियों को देश भर में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में नियुक्त किया जा सकता है।
12.	प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब मुख्य सूची के उम्मीदवार निर्धारित अवधि के भीतर प्रशिक्षण के प्रस्ताव का जवाब नहीं देते हैं।
13.	अभ्यर्थी सीबीटी परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्त अंक जानने के लिए आवेदन जमा करते समय BARC के साथ पंजीकृत अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं।
14.	जबकि परिणाम तैयार करने में हर सावधानी बरती गई है, बी.ए.आर.सी. त्रुटियों और चूक (यदि कोई हो) को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15.	उम्मीदवारों के विवरण के साथ विषयवार चयन सूची और प्रतीक्षा सूची घोषित की जाती है।

**BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE****Advt. No. 03/2023/BARC****SALIENT FEATURES OF THE RECRUITMENT PROCESS**  
**POST: S/A/B (Food Technology/ Home Science/ Nutrition) &**  
**Stipendiary Trainee Category-I posts**

1.	Bhabha Atomic Research Centre initiated recruitment process to fill up posts of Scientific Assistant/B and CAT-I Trainee for various disciplines in order to fill the vacancies of different Units under Department of Atomic Energy (DAE) situated across the country.		
2.	The screening tests (Computer Based Test - CBT) were conducted during the period from 18.11.2023 to 24.11.2023 on all India basis, and after declaration of results of CBT on 12.01.2024, Interviews were conducted in different disciplines during the period from 28.02.2024 to 08.04.2024. The number of candidates called for interview was four times the number of posts advertised in respective discipline and category. As per the extant rules, candidates were interviewed by duly constituted Selection Committees, consisting of representatives from SC/ST, OBC, minority and female categories, along with other members.		
3.	Marks obtained in the CBT is taken into consideration only for the purpose of shortlisting the candidates for the interview. The marks secured in the CBT has no relevance in the final selection process except for the purpose of deciding tie cases as explained at point no.4 below.		
4.	Candidates are empanelled purely based on the performance in the interview. However, in the event of a tie in the interview marks, the empanelment criteria adopted, as announced on the website <a href="https://barconlineexam.com">https://barconlineexam.com</a> , on 29.02.2024 is given below:- 1) Candidate with higher marks in the CBT was placed higher in the merit list. 2) Still in case of a tie in the marks as in (1) above, candidate with more number of correct answers in the CBT was placed higher in the Merit list. 3) Still in case of a tie in the number of correct answers in CBT as in (2) above, candidate born earlier was placed higher in the Merit list.		
5.	Candidates belonging to SC/ ST/ OBC/ EWS/ PwBD categories are assessed by adopting relaxed standards in selection process as follows:		
		Un Reserved category	Reserved category
	Minimum marks in CBT adopted for short listing for interview	30 % (36 Marks Out of 120)	20 % (24 Marks Out of 120)
	Minimum marks in Interview adopted for considering empanelment	55 Marks (Out of 100)	50 Marks (Out of 100)
	Upper age limit	As per para 2.1, 2.2 & 2.3 of the Advertisement	

6.	Candidates belonging to Reserved Category but not availed any relaxation and qualified in general standards are treated as own merit and placed under Unreserved category. Candidates belonging to Reserved category and availed any of the relaxed standards are placed under Reserved category list even though they might have scored higher marks in CBT.
7.	Candidates scoring minimum marks in CBT/ Interview do not automatically guarantee empanelment. Candidates are empanelled in the order of merit and limited to the posts advertised against the category.
8.	In case of non-availability of eligible candidates in the particular category viz. SC, ST, OBC, EWS, UR and PwBD, the posts reserved for that category are kept vacant/unfilled which will be taken up in subsequent recruitment cycles.
9.	The candidates shall satisfy all the recruitment norms as per the advertisement. Mere empanelment will not guarantee the appointment. Even after selection, if it is found that the candidate is not fulfilling any of the recruitment norms and not found fit in the prescribed medical examination etc., their candidature is liable to be terminated at any stage without any further notice.
10.	Appointment shall be further subject to satisfactory completion of verification process of Character & Antecedents (C&A), submission of Disability Certificate from the authority notified by the Government, Caste certificate, EWS Certificate, Creamy Layer status for OBC candidates and submission of caste validity certificate issued by the Scrutiny Committee wherever applicable, or any other prerequisites for the appointment.
11.	The candidates are liable to be posted in any of the constituent units of the Department of Atomic Energy situated in the country.
12.	Waitlist candidates will be considered only in case the candidates from the main list do not respond to the offer of training within the stipulated period.
13.	Candidates in the select list/wait list as well as those candidates who could not get selected can obtain their marks in the CBT Examination/interview through login using their username and password registered with BARC during the submission of application in the website <a href="https://barconlineexam.com">https://barconlineexam.com</a> .
14.	While every care has been taken in preparing the Result, BARC reserves the right to rectify errors and omissions (if any).
15.	The discipline-wise select list and wait list along with the details of candidates are hereby declared.